UPGK010033272026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट, न्यायालय संख्या-1, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थनापत्र सं0-1357/2026

पीठासीन अधिकारी- विजय बहादुर यादव, उच्चतर न्यायिक सेवा– UP06392

विजय कुमार पुत्र जयप्रकाश कन्नौजिया, निवासी-ग्राम महुआखोर, थाना-झंगहा, जनपद-गोरखपुर।

-----आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

-----विपक्षी

मु0अ0सं0-179/2026

धारा-65(1),352,351(3) भा०न्या०सं० व 5/6 पाक्सो एक्ट

थाना-झंगहा, जिला- गोरखपुर।

दिनांक-16.04.2026

1. आवेदक/अभियुक्त विजय कुमार की ओर से प्रस्तुत प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वह न्यायिक अभिरक्षा में है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ उसकी पैरोकार/माता झिनकी देवी का शपथ पत्र प्रस्तुत है, जिसमें इस आशय का कथन किया गया है कि उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय में लंबित नहीं है।

2. वर्तमान मामले की पीड़िता की पहचान गुप्त रखने के उद्देश्य से जहां भी पीड़िता का नाम आया है, वहां उसे इस जमानत आदेश में मात्र ''पीड़िता'' शब्द से सम्बोधित किया गया है।

3. संक्षेप मे अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा बिन्दू देवी द्वारा थाना-झंगहा, गोरखपुर पर दिनांक-27.03.2026 को प्राथमिकी हेतु इस आशय की लिखित तहरीर प्रस्तुत की गयी कि दिनांक 27.3.2026 को उसकी पुत्री/पीड़िता उम्र लगभग 15 वर्ष गाँव में स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गई थी। पुलिस व गाँव के सहयोग से उसे पानी की टंकी से नीचे उतारकर उससे पूछने पर वह रोते हुए बताई की जब वह 10वीं की परीक्षा रामरति रामप्यारे स्कूल से दे रही थी तो वहीं पर एक लडका विजय निवासी महुवर कोल भी पेपर देने आता था। विजय ने उसे प्यार व शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाया तथा उससे शादी के लिए कहने पर वह उसे गाली गुप्ता देने लगा व किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया। इसी बात को लेकर आज वह पानी की टंकी पर चढ़ गई थी। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्यवाही की याचना की गई।

उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना झंगहा, गोरखपुर में आवेदक/अभियुक्त विजय कुमार के विरूद्ध मु0अ0सं0-179/2026, अन्तर्गत धारा-65(1),352,351(3) भा०न्या०सं० व 5/6 पाक्सो एक्ट में प्राथमिकी पंजीकृत की गयी, जिसमें आवेदक/अभियुक्त जिला कारागार, गोरखपुर में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत हेतु तर्क दिया गया है कि वह पूर्णतः निर्दोष है तथा उसके द्वारा ऐसा कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया गया है। उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी में घटना की कोई तारीख व समय अंकित नहीं है। प्राथमिकी केवल कल्पना एवं सम्भावना के आधार पर दर्ज कराई गई है। कथित घटना के किसी स्तर का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। पीड़िता पूर्णतः बालिग है। F.I.R.

तथा पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा–180 व 183 BNSS में काफी भिन्नता है। वह दिनांक 28.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक का जमानत प्रा०पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी है।

5. विद्वान विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का प्रबल विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता के साथ बलात्संग/गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला करने तथा शादी करने को कहने पर उसे गाली–गलौज व जान से मारने की देने का आपराधिक कृत्य किया गया है। आवेदक/अभियुक्त पर आक्षेपित अपराध को अत्यंत गम्भीर व अजमानतीय बताते हुए उसके जमानत प्रा०पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6. जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट को सुना तथा केस डायरी व अन्य अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

7. केस डायरी व अन्य अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से प्रकट है कि आवेदक/अभियुक्त विजय कुमार पर वादिनी मुकदमा/पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्संग/गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला करने तथा शादी की बात करने पर उसे गाली–गलौज व जान से मारने की देने का आक्षेप है। पत्रावली पर उपलब्ध पीड़िता के शैक्षणिक प्रमाण पत्र के अनुसार उसकी जन्म तिथि दिनांक-15.05.2010 होनी पायी गयी है, जबकि अभिकथित घटना दिनांक-27.03.2026 की होनी बतायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त घटना में नामजद अभियुक्त है। पीडिता द्वारा अपने कथन अन्तर्गत धारा 180 व 183 बी0एन0एस0एस0 में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए आवेदक/अभियुक्त की आपराधिक भूमिका प्रकट की गयी। पीड़िता द्वारा अपने कथन अन्तर्गत धारा 183 बी0एन0एस0एस0 में कथन किया गया है **कि मैं विजय कन्नौजिया पुत्र जय प्रकाश कन्नौजिया से स्कूल में 10th का पेपर देने के दौरान मिली थी। हम लोग की आपस मैं बात होने लगी। हम दोनो प्यार करने लगे मै एक महीने से जानती हूँ विजय को। विजय मेरे साथ शादी का बोलकर, दो बार शारीरिक सम्बन्ध बनाया। एक बार वह अपने घर लेकर चला गया। दूसरी बार वह मुझे वहीं बाजार में एक दोस्त के रूम में बनाया। अब वह शादी के लिए मना कर रहा है। उसने मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाया। मै मना भी की थी।** आवेदक/अभियुक्त पर नाबालिग पीड़िता के प्रति आक्षेपित अपराध अत्यन्त गंभीर व अजमानतीय है।

8. अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण-दोष पर बिना कोई टिप्पणी किए न्यायालय के मत में आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने हेतु पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं हैं।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **विजय कुमार** की ओर से मु0अ0सं0-179/2026, अंतर्गत धारा-65(1),352,351(3) भा०न्या०सं० व 5/6 पाक्सो एक्ट, थाना-झंगहा जिला-गोरखपुर, के अभियोग में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक-16.04.2026

(विजय बहादुर यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
पाक्सो एक्ट,न्यायालय संख्या-1,
गोरखपुर।
जे०ओ० कोड-UP06392

Digitally signed by VIJAY BAHADUR YADAV
Date: 2026.04.16 16:28:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court